न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

बइजलास श्री दिनेश चन्द जैन, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 12 /2020

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
शशिपाल कुमावत पुत्र कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी प्लाट नं0 8, सी.सी. साउथ पार्ट, जयपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :
श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
सरकारी पैरोकार, अप्रार्थी की ओर से

–:: आदेश ::–

दिनांक : 19.02.2020

–––––0–––––

उपखण्ड अधिकारी, रोहट द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/2020/450 दिनांक 13.02.2020 के जरिये राजस्व विविध प्रकरण संख्या 06/2020 अनवान शशिपाल कुमावत बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की पत्रावली, पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षु होने एवं सहायक कलक्टर की शक्तियां प्राप्त नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्रेषित की हैं, जो दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता एवं अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट के खसरा नम्बर 279/12 रकबा 08–01 बीघा किस्म बारानी सोयम की आई हुई है, जो प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि हैं। उक्त भूमि में आवागमन का कोई मार्ग नहीं हैं। अतः रास्ते एवं प्रार्थी की खातेदारी भूमि के मध्य आने वाली राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 279/1 रकबा 102–15 बीघा में से 30 फीट चौड़ा मार्ग प्रदान कराने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मौजा सवाईपुरा तहसील रोहट के खसरा नम्बर 279/12 रकबा 08–01 बीघा किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 279/1 रकबा 102–15 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 30 फीट का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि में आवागमन का कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित मार्ग आवेदक के सुविधाजनक उपयोग के

जिला कलेक्टर, पाली

लिये नहीं होकर आत्यांतिक आवश्यकता की श्रेणी में परिलक्षित होता हैं। प्रस्तावित रास्ता ही आवेदक की खातेदारी भूमि का निकटतम मार्ग हैं। प्रस्तावित रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल 1 बीघा है, इस हेतु देय प्रतिकर राशि 1,38,700/– जरिये चालान संख्या 791 दिनांक 13.02.2020 के प्रार्थी द्वारा राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवाई जा चुकी हैं। इस क्रम में रास्ता प्रदान किये जाने में किसी प्रकार की विधिक बाधा दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 218 (ii), 220 के परन्तुक तथा धारा 235 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम सवाईपुरा के खसरा नम्बर 279/12 रकबा 08–01 बीघा किस्म बारानी सोयम की भूमि में आवागमन हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 279/1 रकबा 102–15 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 30 फीट (संलग्न नक्शा अनुसार) कुल 1–00 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शे की प्रति इस आदेश का आवश्यक अंग एवं भाग रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार रोहट को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली
19/2/20

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)